२५/५/१२

पत्रावली आज न्याय आयुक्त के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हुई। पक्षकारान द्वारा रखी उनका का एक बार निर्णय ले लिया है बार निर्णय होने से वह प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली रिकार्ड अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु।

सहायक कलक्टर
सीकरवाना
सहायक कलक्टर
सीकरवाना

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner